



रजिस्टर्ड/सीलड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1210/2026/542/22-2-2026-17(675)/2021
लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कन्नौज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नक्षत्र सहाय (बन्दी सं0-90/2017) पुत्र श्री बाबूराम, कसावा, थाना-छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-171/2005 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 कन्नौज के आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 31.05.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष 10 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 02 माह, 28 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1210/2026/542(1)/22-2-2026 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
- 3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, कन्नौज।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।